

अनवान मनकुल्लातिहं बनाम रवीप्राराम
मुकदमा नंबर 62 / 2025

दिख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

नम्बर व तारीख
अहकामजोइसहुकम की
तामीलमेंजारीहुए

23.04.25

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थीगण के वकील उपस्थित । विप्रार्थी संख्या 1 ता 15 के विरुद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रार्थीगण वकील की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काशत करते आ रहे है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से वे माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते है।

अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहते है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम भाखरपुरा तहसील सिवाना की खसरा संख्या 231 रकबा 0.3090 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को 2000/- रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।


उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक: वाचक/2025/819

दिनांक : 25-04-2025

प्रार्थी
मनफुलसिंह दत्तक पुत्र सांवलसिंह

बनाम
खीमारामपुत्र सांवलाराम

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश
जरिये पत्थर गद्दी

राजस्व आवेदन सं. 62/2025

दिनांक :-23.04.25

—:: आदेश ::—

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम भाखरपुरा तहसील सिवाना की खसरा संख्या 231 रकबा 0.3090 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस रुपये 2000/-प्रार्थी मौके पर अदा करे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हें सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बालोतरा)

दिनांक : 25-04-2025

क्रमांक: वाचक /2025/820

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार सिवाना
2. थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना
3. हल्का पटवारी सिणेर तहसीलदार सिवाना द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी मनफुलसिंह दत्तक पुत्र सांवलसिंह जाति पुरोहित निवासी भाखरपुरा तहसील सिवाना



उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बालोतरा)